बालक और कुमार श्रम
(प्रतिषेध और विनियमन)
अधिनियम, 1986

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) "बाल श्रम" शब्द को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है –

- जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।

बच्चों के काम करने के सन्दर्भ में आई०एल०ओ० ने निम्न बातें उद्धृत की हैं:

- बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है
- बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है
- उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है;
- आवश्यकता से अधिक समय तक तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण अनेक बार काम और स्कूल की उपस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है

धारा 3 – किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

(1) बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है

(2) बच्चा केवल अपने परिवार या/ कुटुंब के उस व्यवसाय में सहायता कर सकेगा, जो गैर-खतरनाक होगा तथा बच्चा अपने स्कूल के समय के बाद और छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है

(3) बच्चे किसी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें सर्कस को छोड़कर विज्ञापन, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री), इंटरनेट, प्रश्नोत्तरी, रिएलिटी शो या टैलेंट शो जैसे टेलीविजन कार्यक्रम या रेडियो कार्यक्रम, धारावाहिक नाटक या अन्य ऐसी मनोरंजन या खेलकूद संबंधी गतिविधियां शामिल हैं तथा ऐसी स्थितियों में जो सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर बालक काम कर सकता है; बशर्ते कि इस खंड के तहत कोई भी कार्य बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रभावित नहीं करे।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निम्न अभिव्यक्तियां –
एक बच्चे के संबंध में'***परिवार***' का अर्थ है, बच्चे के माता-पिता, भाई, बहन, पिता की बहन और भाई तथा माँ की बहन और भाई;

'***पारिवारिक उद्यम***' का अर्थ किसी भी कार्य, पेशे, निर्माण या व्यवसाय से है, जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को काम में नियोजित करके किया जाता है;

'***कलाकार***' का अर्थ है, एक बच्चा, जो किसी काम को अपने शौक या पेशे के रूप में करता है और ऐसे किसी भी काम में निम्न रूप में शामिल होता है – अभिनेता, गायक, खिलाड़ी, ऐसी अन्य गतिविधियां, जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा हो तथा सर्कस या आर्थिक लाभ के लिए गली मुहल्ले में आयोजित नाटकों में अभिनय जैसे कामों में बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता (उपधारा 2 का खंड'बी';

3ए - कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया में किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध

अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में किसी भी किशोर को नौकरी पर रखने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गैर-खतरनाक काम की प्रकृति को निर्दिष्ट न कर दे, जिसके अनुसार, एक किशोर को इस अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

i. सभी व्यवसायों में बच्चों का रोजगार: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में मजदूर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

ii. किशोरों को रोजगार देना अर्थात् निम्नलिखित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को रोजगार देना एक अपराध है

- खतरनाक प्रक्रिया और व्यवसाय

iii. इस कानून के अनुसार, बच्चा वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और किशोर वह है, जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है, लेकिन 18 वर्ष से कम है।

iv. एक बच्चा अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे व्यवसाय में काम कर सकता है, जो किसी खतरनाक काम की श्रेणी में नहीं आता है। वह स्कूल से वापस आने और छुट्टियों के दौरान ही ऐसा कर सकता है।

v. बच्चे के परिवार में शामिल हैं –

- बच्चे के माता-पिता
- बच्चे के सगे भाई या बहन
- बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन
- बच्चे के माता-पिता के सगे भाई या बहन
- गैर-खतरनाक क्षेत्रों में काम करने के संबंध में किशोरों के लिए प्रावधान

i. एक किशोर से शाम 7 बजे से प्रात: 8 बजे के बीच काम नहीं कराया जा सकता

ii. एक किशोर के लिए काम करने के घंटे – किशोर से छह घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता। इसमें एक घंटे का अवकाश तथा समय की वह अवधि भी शामिल है, जब उससे काम करने के लिए इंतजार करवाया जाता है

iii. किशोर से किसी भी दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। 3 घंटे के काम के उपरांत या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का समय आराम के लिए देना आवश्यक है

iv. काम के पूरा होने पर किशोर से कोई काम (ओवरटाइम) नहीं कराया जा सकता। किशोर को सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाना अनिवार्य है

v. जिस दिन किशोर पहले ही किसी स्थापन्न या वर्ग में काम कर चुका है, उस दिन किशोर को किसी अन्य स्थान या वर्ग में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

धारा	प्रावधान (अपराध)	दंड
धारा 14 (1)	किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं नियमों का उल्लंघन करना	• 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों • संज्ञेय अपराध
धारा 14 (1ए)	सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना	• 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों • संज्ञेय अपराध
धारा 14 (1बी)	यदि बच्चे और किशोर के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध पहली बार किया जाता है	कोई नहीं
धारा 14 (2)	ऊपर वर्णित वर्गों में दिया गया अपराध यदि बच्चे और किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है	कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढाई जा सकती है
धारा 14 (2ए)	यदि माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध फिर से दोहराया जाता है	जुर्माना, जिसे अधिकतम 10,000 रुपये तक बढाया जा सकता है
धारा 14 (3)	इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना, जिसमें किशोरों के रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन शामिल है	साधारण कारावास, जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों

नोटिस

- प्रत्येक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह प्राधिकरण और नियोक्ता द्वारा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को रोजगार पर न रखने तथा 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम न करवाने की सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
- सूचना स्थानीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिये।
- सूचना स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, जिसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हो सके।

उम्र प्रमाणपत्र

- जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में उम्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अस्थिकरण परीक्षा अथवा उम्र को जांचने वाली किसी अन्य परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। यह परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश पर आयोजित की जाएगी। आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष

1. उपयुक्त सरकार एक या अधिक जिलों में एक कोष का गठन करेगी, जिसे '*बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि*'कहा जाएगा, जिसमें बालक या किशोर के नियोक्ता से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी तथा उस राशि को एक या अधिक जिलों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित पुनर्वास कोष में जमा किया जाएगा।

2. उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के खाते में पंद्रह हजार रुपये (15,000) की राशि जमा करेगी, जिसके लिए उप-धारा (1) के तहत जुर्माना राशि जमा की गई है।

3. उप-वर्गों (1) और (2) के तहत सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या अन्य ऐसे उचित तरीके से जमा की जाएगी, जैसा कि सरकार उचित समझे।

4. जमा की गई या निवेश की गई राशि, जैसा कि मामला उप-धारा (3) के तहत हो सकता है, और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान उस बच्चे या किशोर को किया जाएगा, जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की जाती है।

स्पष्टीकरण – उपयुक्त सरकार के उद्देश्यों के लिए, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 239ए के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल को शामिल करेगी।

श्रम अधिकारी की भूमिका

i. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा तथा कोई भी नियुक्त निरीक्षक भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

ii. सरकार को समय-समय पर उन स्थानों का निरीक्षण करना होगा, जहां बच्चों का रोजगार में तथा किशोरों का खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध है और समय-समय के अंतराल पर निरीक्षण करना होगा कि उन स्थानों पर कानून का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

iii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरीक्षक या नोडल अधिकारी, जिनके क्षेत्राधिकार में यह कोष है, उनकी देखरेख में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक में इस बच्चे या किशोर का खाता खोला जाये और उस बैंक को सूचित किया जाये, जिसमें फ़ंड की राशि जमा है।

iv. सरकार उन बच्चों या किशोरों के बैंक खातों में 15,000 रुपये भी जमा करेगी, जिनके लिए यह राशि जमा की गई है।

v. सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या अन्य ऐसे उपयुक्त साधनों के माध्यम से जमा की जाएगी, जैसा कि सरकार उचित समझे।

vi. जमा की गई राशि या निवेश और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान बच्चे या किशोर को तब किया जाएगा, जब वह 18 साल का हो जाएगा।

vii. इंस्पेक्टर संबंधित बच्चे या किशोर के विवरण के साथ हस्तांतरित की गई राशि की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त होगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति जानकारी हेतु केंद्र सरकार को सलाना भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी की भूमिका

i. जिलाधिकारी प्रावधानों को लागू करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है, जो उसकी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सके, जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

ii. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिले के सभी नियोक्ताओं द्वारा एक लिखित नोटिस कार्यस्थल के ब्यौरे के बारे में निरीक्षकों को भेजा जायेगा, जहाँ किशोरों को काम करने की अनुमति दी जाती है।

नियोक्ताओं की भूमिका के लिए नियम

i. प्रत्येक नियोक्ता, जिसने किसी भी किशोर को नियोजित किया है, को किशोर को नियोजित करने के 30 दिनों के भीतर निरीक्षक को एक लिखित सूचना प्रदान करनी चाहिए कि किन स्थानीय सीमाओं के भीतर उनका संस्थान स्थित है तथा निम्न जानकारी प्रदान करनी चाहिए –

- नाम और प्रतिष्ठान की स्थिति
- प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबन्धक का नाम
- उस स्थान का पता जहां स्थापना से संबंधित संचार को संबोधित किया जा सकता है
- संस्थान में स्थापित व्यवसाय और प्रक्रिया की प्रकृति

ii. प्रत्येक नियोक्ता अपने स्थानापन्न में काम करने के लिए नियोजित किशोर के संबंध में एक रजिस्टर रखेगा, जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन्न में काम कर रहा हो, तब उस सभी समय पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें निम्नलिखित तथ्य दर्शित होंगे:

- किशोर, जिसे काम के लिए नियोजित किया गया है या काम के लिए अनुमति प्रदान की गई है, का नाम और उसकी जन्मतिथि
- ऐसे किसी किशोर के काम करने के घंटे और समय की अवधि तथा विश्राम के वह अंतराल, जिस पर उसका अधिकार है
- ऐसे किसी भी किशोर के काम की प्रकृति, और
- ऐसी अन्य विशेषताएँ, जो विहित की जाएँ

iii. एक नोटिस, जिसमें काम कर रहे किशोरों के लिए छुट्टी का दिन निर्दिष्ट होगा, स्थापन्न में स्पष्ट दिखाई देने वाली जगह पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो काम कर रहे किशोर के छुट्टी के दिन को निर्दिष्ट करे। यह किसी भी नियोक्ता द्वारा तीन महीने में एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाएगा

यदि कार्यरत किसी भी किशोर के उम्र प्रमाणपत्र के अभाव में किशोर की उम्र के बारे में इंस्पेक्टर या नियोक्ता की बीच सवाल खड़ा होता है, तो उम्र का निर्धारण करने के लिए इंस्पेक्टर एक किकित्सा प्राधिकारी निर्धारित करेगा और उम्र का प्रमाणपत्र जारी करेगा

शिकायत किससे और कहाँ करें

i. 'विशेष किशोर पुलिस यूनिट' के सदस्य से, जो प्रत्येक थाने पर नियुक्त होता है

ii. विभिन्न बाल कल्याण संगठन (सरकारी और गैर सरकारी/बाल गृह)

iii. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में

बाल मजदूरी मामला

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु* सिविल रिट याचिका में बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गए थे -

1. काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाये
2. खतरनाक उद्योग में काम कर रहे बच्चों की वापसी हो। उन्हें उचित शिक्षा संस्थान में शिक्षित किया जाए
3. बाल कल्याण समिति की स्थापना हो, जिसमें प्रति बच्चे के हिसाब से नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाए
4. बच्चों के परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाए
5. राज्य सरकार कल्याण कोष में योगदान दे
6. बच्चों के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाए
7. गैर खतरनाक व्यवसायों में बच्चों से काम नहीं लिया जाये

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ सिविल याचिका के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत में सर्कस में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल कलाकारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। इस मामले में सन 2004 में उत्तर प्रदेश में एक सर्कस से लड़कियों को बचाया गया। जब लड़कियों का बयान लिया गया, तो उन्होने वहाँ की भयानक कहानियाँ सुनाईं, जहां वे काम करती थीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए –

i. चौदह वर्ष से कम उम्र के बाल कलाकार सर्कस में काम नहीं करेंगे।
ii. सर्कस में काम कर रहे अवयस्क बच्चों को दिन में पाँच बार प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
फोन: 011 475111111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)